ई–मेल

पत्रांक– IX–8–11/2017–736 /

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

प्रेषक,

बी0 कार्तिकेय धनजी, भा.प्र.से.,
निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला अवर निबंधक।

पटना, दिनांक– 18.02.2020

विषय : – निबंधन कार्यालयों में दर्ज रोक सूची को जिला के बेवासाईट पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निबंधन कार्यालयों में विभिन्न अंचलों के अंतर्गत अवस्थित सम्पत्तियों पर लगी रोक से संबंधित रोक सूची सार्वजनिक नहीं रहने के कारण रोक सूची में दर्ज सम्पत्ति के बारे में क्रेता को जानकारी प्राप्त नहीं होती है और ऐसे सम्पत्ति के अंतरण के दस्तावेज को निबंधित कराने हेतु सरकारी शीर्ष में राशि जमा करने के उपरांत इसकी जानकारी होने पर निबंधनार्थी को अनावश्यक परेशानी एवं आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है और इससे विभाग की छवि प्रभावित होती है।

कार्यालय में पारदर्शिता एवं आम जन को रोक से संबंधित जानकारी सुलभ रूप से उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाता है कि जिन सम्पत्तियों/व्यक्तियों से संबंधित सम्पत्तियों पर नियमानुसार रोक प्रभावी है उसकी अंचलवार सूची हस्ताक्षरित करते हुए जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(बी0 कार्तिकेय धनजी)
निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– IX–8–11/2017–736 /, पटना, दिनांक– 18.02.2020
प्रतिलिपि, सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।